# कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

E-mail : Ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक/7–ठेका/2012–13//1649 ग्वालियर, दिनांक 23.12.2011

प्रति,

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
समस्त जिला आबकारी अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– वर्ष 2012–13 हेतु देशी मदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव।

---

वर्ष 2012–13 के लिये देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन, नवीनीकरण/टेण्डर पद्धति से निकट भविष्य में किया जाना है। प्रदेश में देशी मदिरा दुकानों की तुलना में विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या अत्यन्त सीमित है। उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा को, देशी मदिरा की तुलना में स्वास्थ्य के लिये कम हानिकारक माना जाता है। प्रदेश के अनेक कस्बों में विदेशी मदिरा दुकान नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा विदेशी मदिरा अवैध रूप से इन अंचलों में विक्रय की जाती है। ये अवैधानिक गतिविधियां असामाजिक तत्वों की आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं, जिन पर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से भी प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

अतः आपके जिले में जिन क्षेत्रों में विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या की तुलना में, देशी मदिरा दुकानों की संख्या सामान्य से अधिक है, वहां पर वर्ष 2012–13 के लिये कतिपय देशी मदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तित कर, विदेशी मदिरा दुकान के रूप में उनका निष्पादन आवश्यक है, इस हेतु प्रथमतः गंभीरतापूर्वक समस्त पक्षों का परीक्षण किया जाये।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वर्ष 2012–13 के लिये, किसी देशी मदिरा दुकान का स्वरूप, विदेशी मदिरा दुकान के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उक्त विदेशी मदिरा दुकान अथवा वह एकल समूह, जिसमें यह विदेशी मदिरा दुकान सम्मिलित होगी, उसका निष्पादन वर्ष 2012–13 के लिये केवल टेण्डर द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में शासन को यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि, वर्ष 2012–13 के लिये मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु संबंधित जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों के समग्र में निहित कुल राजस्व (वार्षिक मूल्य) में से, उपरोक्तानुसार स्वरूप परिवर्तन वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्ष 2011–12 के वार्षिक मूल्य को कम कर, शेष राशि के कम से कम 80 प्रतिशत राशि की मदिरा दुकानों के लिये, नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उस

जिले में वर्तमान लायसेंसधारकों के लायसेंसों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा कर दिया जाये।

तदनुसार स्थानीय मांग अथवा प्रशासकीय आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011–12 में संचालित जिन देशी मदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तित कर, उन्हें विदेशी मदिरा दुकान के रूप में निष्पादित किया जाना है, उनके संबंध में जिला समिति के समक्ष तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपरोक्त के संबंध में संबंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी को अनिवार्यतः दिनांक 31.12.2011 तक, जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में प्रस्ताव भिजवायें।

**नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ।**

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक / 7–ठेका / 2012–13 /　　　　ग्वालियर, दिनांक 23.12.2011

प्रतिलिपि

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त वर्णित कार्यवाही को समय–सीमा में संपन्न कराये जाने हेतु सतत पर्यवेक्षण करें। साथ ही अपने निर्देशन में उक्त कार्यवाही को राजस्व हित में संपन्न करायें। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर संभागीय उपायुक्त के दृष्टिकोण से अपना अभिमत, प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में अंकित करते हुए, दिनांक 02.01.2012 तक विशेष वाहक से समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

—Sd—
(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश